RAJASTHAN NURSING COUNCIL
JAIPUR

B-39, Sardar Patel Marg, C- Scheme, Jaipur, Ph- 2222923

क्रमांकः–आर.एन.सी/शैक्ष./2018/ 161 दिनांक 6.8.18

समस्त प्रधानाचार्य/प्रबंधक,
निजी जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र,
राजस्थान।

विषयः–सत्र 2018–19 हेतु निजी क्षैत्र में संचालित जी.एन.एम प्रशिक्षण संस्थानों से शपथ–पत्र प्राप्त करने के क्रम में।
सन्दर्भः–श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) का पत्र क्रमांक प्रशि. /जनप्र/–/2018/1467 दिनांक 03.08.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक विभाग के पत्र क्रमांक प035(1)/चिस्वा. /ग्रुप–3/2018 दिनांक 15.06.2018 के द्वारा राजकीय/निजी जी.एन.एम प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश प्रक्रिया/नियमित पाठ्यक्रम एवं शिक्षा स्तर में सुधार हेतु दिये गये निर्देशों की अनुपालना में श्रीमान प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडीकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की अध्यक्षता में गठित कमेठी की बैठक दिनांक 31.07.2018 में लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 3 में वर्णितानुसार निर्णय के क्रम में श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(प्रशा.) के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति सलंग्न कर निर्देशित किया जाता है कि बैठक विवरण के साथ संलग्न प्रारूप में 500/–रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र दिनांक 10.08.2018 तक फैडरेशन के माध्यम से ऑफ लाईन राजस्थान नर्सिंग कौंसिल कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सुमन्त कुमार व्यास)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांकः–आर.एन.सी/शैक्ष./2018/ दिनांक
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, श्रीमान प्रबंध निदेशक,राज0 मेडीकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, मुख्यालय।
3. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान संयुक्त निदेशक (प्रशि.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
6. सचिव/समन्वयक, प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीटयूशन्स फैडरेशन ऑफ जयपुर, 17,मोतीलाल अटल रोड़,संगम होटल,पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
7. सचिव/समन्वयक,राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फैडरेशन, ई–277,नई विधानसभा के पीछे,लालकोठी योजना, जयपुर।
8. रक्षित/आदेश पत्रावली।

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/........./2018/ 1467 दिनांक : 3/8/18

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रशासनिक विभाग के पत्र कमांक : प.33 (1) चिस्वा./ग्रुप–3/2018 दिनांक 15.06.2018 के कम में राजकीय/निजी जीएनएम नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश प्रकिया/नियमित पाठ्यकम एवं शिक्षा स्तर में सुधार हेतु निदेशालय के आदेश कमांक : 1453 दिनांक 30.07.2018 के द्वारा श्रीमान् प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कोर्पोशन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 31.07.2018 को मध्यान्ह पश्चात् 2:30 बजे में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

क्र.स.	नाम	पद
1	महावीर प्रसाद शर्मा,	प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सविर्सेज कॉरर्पोरेशन,
2	श्री अजय असवाल,	संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर
3	श्री राकेश शर्मा,	अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0) मुख्यालय
4	श्री हरिकिशन टूटेजा, विशेष आमंत्रित	उप विधि परामर्शी, शासन सचिवालय, जयपुर
5	डॉ0 घनश्याम,	संयुक्त निदेशक (प्रशि0) मुख्यालय
6	श्री सुमन्त व्यास	रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर
7	श्री दिलीप तिवारी	सचिव, प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टी. सोसायटी ऑफ जयपुर
8	डॉ. आर. के. सिंह	एक्ज्यूकेटिव मेम्बर प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टी. सोसायटी ऑफ जयपुर
9	श्री आजम बैग	सचिव, राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल फैडरेशन, जयपुर
10	डॉ. भैरो सिंह गुर्जर	एक्ज्यूकेटिव बाडी मेम्बर, राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल फैडरेशन, जयपुर

उक्त मीटिंग में जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसलिंग के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1. वर्तमान सत्र 2018–19 में पिछले वर्ष की भांति प्रदेश में संचालित निजी जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार द्वारा आंवटित कुल सीटों की 50 प्रतिशत सीटों को सम्मिलित करते हुए राजकीय कांउसलिंग की जावे।
2. राजकीय कोटे की निर्धारित 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया हेतु रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची के अनुसार ही प्रवेश दिया जावेगा। अतः रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची भिजवाते समय यह सुनिश्चित कर लेवे कि उनके द्वारा भिजवाई जा रही सूची में उल्लेखित किसी स्कूल के विरूद्ध कोई न्यायिक प्रकरण अथवा एसीबी प्रकरण आदि विचाराधीन नही हो। सूची में उल्लेखित शिक्षण संस्थान के सही पते का आवश्यक रूप से उल्लेख करे, ताकि अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त् अनावश्यक परेशानी उत्पन्न ना हो।

3. पूर्व के वर्षो में संस्थाओं के नाम की सूची आईएनसी की वैबसाईट पर जारी की जाती थी, जिसके आधार पर राज्य मे उन नर्सिंग स्कूलों की काउसंलिंग कर छात्र आवंटन किये जाते थे। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा आईएनसी को संस्थाओं/नर्सिंग स्कूलों की मान्यता जारी करने की अधिकारिता नही होने के आदेश किये गये है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि नॉर्म्स की पूर्ति करने का संस्थाओं से शपथ पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में संचालित जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाओं से सत्र 2018–19 में काउंसलिंग प्रकिया नियत समय (अतिशिघ्र) पर करने हेतु पात्र संस्थानों का निर्धारण करने के लिये राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित सभी संस्थानों से रूपयें 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को प्रस्तुत करना होगा कि **"उनकी संस्था भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार तथा राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा निर्धारित Infrastructure, Clinical facility सहित सभी मापदण्डों को पूरा करती है।"**

उक्त आशय का शपथ पत्र रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर निर्धारित प्रारूप में गत वर्ष की निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान जिनकों राजकीय काउंसलिंग के द्वारा छात्र आवंटित किये गये थे, से लिया जाना है। इस प्रारूप को आरएनसी अपनी वैबसाईट पर अपलोड कर सभी निजी शिक्षण संस्थाओं से उनके फैडरेशन के माध्यम से दिनांक 10.08.2018 तक आवश्यक रूप से ऑफलाईन शपथ पत्र प्राप्त कर दिनांक 11.08.2018 तक अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को अवगत करवाया जायेगा। **शपथ पत्र का प्रारूप एनेक्जर – ए पर उपलब्ध है।**

4. जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग किये जाने के लिए नवीन कैलेण्डर/टाईम टेबल निम्नानुसार है :–

क्र.स.	विषय	प्रकाशन तिथि
1	विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों/ऑनलाईन (जारी हो चुकी है।)	17 जुलाई
2	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	13 अगस्त
3	प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच	16 से 19 अगस्त
4	प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशन	20 अगस्त
5	अभ्यर्थियों से परिवेदना आमंत्रित	21 से 23 अगस्त
6	अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन	24 अगस्त
7	प्रथम ऑनलाईन काउंसलिंग के लिए विकल्प पत्र प्राप्त करने की तिथि	25 से 31 अगस्त
8	प्रथम काउंसलिंग कर सूची ऑनलाईन जारी करना	4 सितम्बर
9	छात्रों द्वारा आवंटित स्कूल में उपस्थिति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	5 से 11 सितम्बर
10	नर्सिंग स्कूलों द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची कौंसिल बोर्ड को भेजने की अंतिम तिथि	14 सितम्बर
11	द्वितीय काउंसलिंग की सूची ऑनलाईन जारी करना	18 सितम्बर
12	छात्रों द्वारा आवंटित स्कूल में उपस्थिति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	19 से 25 सितम्बर
13	नर्सिंग स्कूलों द्वारा राजकीय काउंसलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित छात्रों की सूची कौंसिल बोर्ड को भेजना	28 सितम्बर
14	राजकीय कोटे की 50 प्रतिशत में से शेष रिक्त रही सीटों को फैडरेशन को आवंटित करना (फैडरेशन द्वारा स्वयं के कोटे की 50 प्रतिशत सीट भरने पर ही राजकीय कोटे की शेष रही सीटे आवंटित की जायेगी)	29 सितम्बर से 28 अक्टू.
15	संयुक्त फैडरेशन द्वारा नर्सिंग स्कूलों को आंवटित छात्रों की मेरिट बनाकर सूची कौंसिल बोर्ड को भेजना	29 अक्टूबर
16	सभी नर्सिंग स्कूलों द्वारा कौंसिल बोर्ड को उनकी संस्था में उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले छात्रों की सूचना भिजवाना	30 अक्टूबर
17	जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018–19 में प्रवेश प्रकिया बन्द करना	31 अक्टूबर
18	जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018–19 प्रारम्भ की तिथि	01 नवम्बर

5. जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018–19 की प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 31.10.2018 को बन्द की जाकर दिनांक 01.11.2018 से प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ किया जावेगा।

6. सत्र 2018–19 की प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात् काउंसलिंग में सम्मिलित निजी नर्सिंग स्कूल्स जिनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है में से लॉटरी के द्वारा दस प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं का चयन किया जाकर निर्धारित गाईडलाईन के अनुसार निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण किये गये निजी नर्सिंग संस्थान का सामान्य परिस्थिति में आगामी तीन वर्ष तक पुनः निरीक्षण नही किया जावेगा। जिन संस्थाओं के वर्ष 2017–18 में निरीक्षण सम्पादित किये ज़ा चुके है तथा वे नॉर्म्स पूरे करते हुए पाये गये, उन्हें इस सत्र में निरीक्षण मुक्त रखा जायेगा।

यह बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

सं/–
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/........../2018/ 1467 दिनांक : 3/8/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, श्रीमान् प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कोर्पोरेशन, मुख्यालय।
3. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके उल्लेखित पत्र दिनांक 15.06.2018 एवं आई.डी. क्रमांक : 1818 दिनांक 03.08.2018 के क्रम में।
4. उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0) मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) मुख्यालय।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
8. सचिव/समन्वयक, प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
9. सचिव/समन्वयक, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फैडरेशन, ई–277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
10. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को संबंधितों को मेल करने का श्रम करे।
11. रक्षित/आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

शपथ – पत्र

(500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प)

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....पता .... वर्तमान में संस्था/न्यास/सोसायटी जिसका प्रशासनिक कार्यालय .... स्थित है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि :–

1. यह है कि मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... हूँ, जो ....संस्था/न्यास/सोसायटी से हूँ, जिसका प्रशासनिक कार्यालय पता .... स्थित है।
2. यह कि संचालित स्कूल/कॉलेज का नाम ....कोर्स/पाठ्यक्रम (नर्सिंग कार्यक्रम) .... का प्रबंधन/संचालन .... द्वारा किया जावेगा, जिसमें मेरा पदनाम .... है।
3. यह कि संचालित स्कूल का नाम .... है, जो कि निम्न पते पर स्थित है।
4. यह है कि संचालित संस्था जीएनम नर्सिंग कोर्स हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार तथा राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा निर्धारित Infrastructure, Clinical facility सहित सभी मापदण्डों को पूरा करती है।
5. मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना/दस्तावेज गलत/असत्य पाये जाते है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं .... पुत्र श्री .... (पदनाम संस्था का विवरण).. .... पर संख्या 1 से 6 तक मरे द्वारा दिये गये तथ्य मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य है कोई भी तथ्य छुपाया नही गया है।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता